सोशल आडिट निदेशालय

Phone No.: 0522-4003787
Mob.: 9453535353
E-mail: socialauditup@yahoo.in

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001

पत्रांकः 75 / सो.आ.नि.–312 / 2013
दिनाँकः 20 जून, 2013

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अर्न्तगत कार्यों का सोशल आडिट कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से निर्गत पत्र संख्या 2962 / अड़तीस–7–12–324नरेगा / 2012टी0सी0 दिनांक 9–1–2013 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र में उल्लिखित शासनादेश संख्या 2245 / अड़तीस–7–2012–200नरेगा / 2009 दिनांक 4–10–2012 (प्रतिलिपि संलग्न) में शासन द्वारा मनरेगा के अर्न्तगत हुए कार्यों के सोशल आडिट की नई व्यवस्था के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश दिनांक 4–10–2012 मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा–24 के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित मनरेगा लेखा परीक्षा नियम, 2011 में दिए गए प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

2– उक्त प्रस्तर–1 में संदर्भित नियमावली एवं शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अर्न्तगत ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल आडिट के लिए आडिट टीमों का गठन किया जाएगा। इन ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों के सदस्य उसी ग्राम पंचायत के निवासी नहीं होंगे, वरन् उसी न्याय पंचायत के अन्य ग्रामवासी होंगे। सोशल आडिट करने का दायित्व इसी ग्राम पंचायत टीम को सौंपा जाएगा। सोशल आडिट टीम को कार्यक्रम अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) द्वारा सोशल आडिट ग्रामसभा की बैठक के कम से कम 15 दिन पहले समस्त अभिलेख उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

3– स्पष्ट है कि पूर्व में जनपद के अधिकारियों द्वारा सोशल आडिट किए जाने की व्यवस्था को भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समाप्त किया जा चुका है और अब केवल पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों द्वारा यह कार्य किया जाना है। अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों एवं जांचों को भारत सरकार की वेबसाइट पर दिए गए सोशल आडिट प्रारूपों में कदापि लोड नहीं किया जाना चाहिए और केवल वही विवरण लोड किए जाने चाहिए जो सोशल आडिट टीमों द्वारा सोशल आडिट ग्रामसभा में निष्कर्ष के रूप में निकाले गए हैं।

4– भारत सरकार की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 के प्राविधानों के अर्न्तगत सोशल आडिट के कार्यक्रम के कलेण्डर का अनुमोदन निदेशक, सोशल आडिट से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा ताकि भारत सरकार को भी निर्दिष्ट तिथियों पर Observer भेजने हेतु सूचित किया जा सके। सोशल आडिट को सम्पन्न कराने में जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिलाधिकारी)/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य विकास अधिकारी), खण्ड विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों का पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। अधिकारीगण सोशल आडिट की प्रक्रिया में केवल Facilitator के रूप में कार्य करेंगे। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संलग्न शासनादेशों एवं नियमावलियों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

5– यह देखने में आया है कि जनपदों द्वारा सोशल आडिट के सम्बन्ध में जो सूचना भेजी जा रही हैं उसमें अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण एवं जांचों को भी सोशल आडिट का नाम देते हुए सम्मिलित किया जा रहा है जबकि ग्राम पंचायत स्तरीय सोशल आडिट टीमों द्वारा किया गया सोशल आडिट ही वास्तव में सोशल आडिट की परिभाषा के अर्न्तगत मान्य है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में विभागीय बैठक में जिला कार्यक्रम समन्वयकों (जिलाधिकारियों)/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयकों (मुख्य विकास अधिकारियों) एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को यथोचित निर्देश एवं मार्गदर्शन देने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिलाधिकारी), उत्तर प्रदेश।
2– समस्त अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य विकास अधिकारी), उ0प्र0।

(शंकर सिंह)
निदेशक।